**JALAUN POLICE**

**दिनांक – 29.03.2026**

**श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कैलिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 72 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2026 को थाना कैलिया में वादी श्री गिरजाशंकर पुत्र स्व0 भागीरथ नि0 ग्राम उमरी का पुरा थाना रेंढर जनपद जालौन द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण वादी के पुत्र अमित नरवरिया उम्र 24 वर्ष की हत्या कर उसकी पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जला देना तथा पूर्व में जान से मारने की धमकी दिया गया था। जिसके आधार पर थाना कैलिया पर मु0अ0सं0 24/26 धारा 103(1)/238/351(2)/61(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही व फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी।

घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन द्वारा 03 टीमो का गठन किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 72 घण्टे के अन्दर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कैलिया पुलिस टीम की विवेचना के क्रम मे इलेक्ट्रानिक /भौतिक साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आए 02 अभियुक्त 1. कुलदीप दोहरे पुत्र स्व जमुनाप्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कैलिया थाना कैलिया जनपद जालौन 2. अमित दोहरे पुत्र तिलक सिंह उर्फ अर्जुनलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम भगवंतपुरा थाना रेंढर जनपद जालौन व 02 अभियुक्ता 1. शीतला पत्नी कुलदीप दोहरे उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कैलिया थाना कैलिया जनपद जालौन 2. मिथलेशी पत्नी स्व जमुनाप्रसाद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम कैलिया थाना कैलिया जनपद जालौन को मुखबीर की सूचना पर जगनपुरा रोड़ से सलैया खुर्द जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया। उनकी निशादेही पर एक अदद हथौड़ा आला कत्ल, एक अदद डंडा आला कत्ल, दो अदद बाइक, दो अदद हेलमेट बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ में अभियुक्त कुलदीप ने बताया कि कि मृतक अमित नरवरिया और मेरी पत्नी शीतल के बीच प्रेम-प्रंसग चल रहा था जिसकी जानकारी मुझे हो गयी थी दिनांक 23.03.2026 को शीतल द्वारा फोन करके मृतक अमित को धमकी दी कि तुम नही आओगे तो मै तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तब अमित नरवरिया दिनांक 24.03.2026 की शाम को अकेला मेरे घर आ गया और हम सभी लोग घर मे ही घात लाकर बैठे थे जैसे ही अमित नरवरिया मेरे घर मे प्रवेश किया और मेरी पत्नी के बेडरूम मे पहुंचा तो मेरी मां घर के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगी और मैने तथा शीतल व अमित दोहरे ने मिलकर उसे दबोच लिया और अमित दोहरे ने उसके मुह मे मेरी पत्नी का दुपट्टा ठूस दिया जिससे की चिल्ला न पाये और मैने डंडे से तथा अमित दोहरे ने हथौड़ी से अमित नरवरिया के सिर पर कई बार करके हत्या कर दी और उसकी लाश व सबूत मिटाने के उद्देश्य से लाश को बेडशीट से बांधकर व कम्बल मे लपेटकर उसके ऊपर पीली बोरी का तिरपाल लपेटकर बाइक पर रखकर कैलिया से ब्यौनाराजा जाने वाली रोड़ पर पहचान छिपाने के लिए आग लगा दी थी फिर हम सभी लोग फरार हो गये थे।

**नाम पता अभियुक्तः-**

1 कुलदीप दोहरे पुत्र स्व जमुनाप्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कैलिया थाना कैलिया जनपद जालौन

2 अमित दोहरे पुत्र तिलक सिंह उर्फ अर्जुनलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम भगवंतपुरा थाना रेंढर जनपद जालौन

3 शीतला पत्नी कुलदीप दोहरे उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम कैलिया थाना कैलिया जनपद जालौन

4 मिथलेशी पत्नी स्व जमुनाप्रसाद उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम कैलिया थाना कैलिया जनपद जालौन

**बरामदगी का विवरणः-**

1. एक अदद हथौड़ा आला कत्ल
2. एक अदद डंडा आला कत्ल
3. दो अदद बाइक
4. दो अदद हेलमेट
5. मृतक का आधारकार्ड
6. रक्त रंजित कपड़े व चादर

**पुलिस टीम का विवरणः-**

1. थानाध्यक्ष कैलिया मय पुलिस टीम।